


15/02/25

पत्रावली पेश हुई। प्राथीया एवं आर्थीया  
के अधिकार को बार-बार आवाज  
डिक्काली गली। जो हाजिर नहीं है। अतः  
अहम हाजरी व अहम धरती में  
आर्थीना-पत्र खालि डिया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से कम हो। बाद का  
कार्रवाही दायिम दफ्तर हो।

  
(दमयन्ती कुंवर)  
उपखण्ड अधिकारी  
फतेहपुर-सीकर (राज.)

